दिनांक: 16.06.2017

अतिरिक्त पूर्व-बोली प्रश्नों के उत्तर: म्यानमार में ई.पी.सी आधार पर याज्ञि-कलेवा खंड मीलपोस्ट 40/0 से मीलपोस्ट 115/5 का मिट्टी के स्कंधक वाले दो लेन में उन्नयन				
क्रमांक	**धारा**	**निविदा की वास्तविक धारा**	**बोलीदाता द्वारा स्पष्टीकरण/ सुझाव**	**उत्तर**
मसौदा समझौता				
1	धारा 7.4	*इस समझौते के तहत रखरखाव अवधि या त्रुटी देयत अवधि के गतावधि के पश्चात 60 (साठ) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को प्रदर्शन सुरक्षा वापस लौटा दिया जाएगा। उपर्युक्त के बावजूद, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि जब तक त्रुटी देयत अवधि के दौरान चिन्हित सभी त्रुटियों का सुधार नहीं किया जाता तब तक प्राधिकरण प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने के प्रति बाध्य नहीं होगा।*	प्रदर्शन सुरक्षा की रकम को लगभग 8 वर्षों तक (निर्माण अवधि+रखरखाव अवधि) रोक कर रखा जाएगा और बोलीदाता के लिए यह वित्तीय भार बन जाएगा। रखरखाव अवधि में प्रदर्शन सुरक्षा की रकम को रखरखाव भुगतान के 5% तक घटाने की और समापन प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के पश्चात 5% प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करने की विनती की जाती है।	बोली दस्तावेज़ के अनुसार
2	धारा 19.10.4 (d)	*ए.ओ = मूलभूत तिथि वाले महीने में निर्माण मशीनों के लिए भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचीपत्र (यहाँ जिसे डब्लूपीआई कहा गया है)।*	डब्लू.पी.आई सूचीपत्र म्यानमार देश के प्रासंगिक होना चाहिए।	बोली दस्तावेज़ के अनुसार
		बी.ओ = मूलभूत तिथि पर भारत में हल्दिया के परिष्करणी में बिटुमिन की सरकारी खुदरा कीमत।	खुदरा कीमत दर, म्यानमार देश के उत्पाद के कुल दर के अनुसार होना चाहिए।	
		सी.ओ = मूलभूत तिथि वाले महीने में ग्रे की डब्लूपीआई।	डब्लू.पी.आई सूचीपत्र म्यानमार देश के प्रासंगिक होना चाहिए।	
		ऍफ़.ओ = मूलभूत तिथि पर मणिपुर राज्य में भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी) के मौजूदा	खुदरा कीमत दर, म्यानमार देश के उत्पाद	

		उपभोक्ता पम्पों पर हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी) की सरकारी खुदरा कीमत।	के कुल दर के अनुसार होना चाहिए।	
		एल.ओ = मूलभूत तिथि वाले महीने में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रमिक ब्यूरो द्वारा असम राज्य के सिलचर में औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी उपभोक्ता कीमत सूचीपत्र (यहाँ जिसे सी.पी.आई कहा गया है)।	यदि म्यानमार से श्रमिकों को नियुक्त किया जाना है, तो म्यानमार के श्रमिक सूचिपत्रों में परिवर्तनों के अंतर और सिलचर में औद्योगिक श्रमिकों के सी.पी.आई में परिवर्तन के कारण बोलीदाता अंडर-कवर्ड रहेंगे। कृपया सूचीपत्र को बदल कर म्यानमार श्रमिक सूचीपत्र कर दें।	
		एम.ओ = मूलभूत तिथि वाले महीने में सभी सामग्रियों की डब्लू.पी.आई।	डब्लू.पी.आई सूचीपत्र म्यानमार देश के प्रासंगिक होना चाहिए।	
		एस.ओ = मूलभूत तिथि वाले महीने के लिए स्टील (री-बार) की डब्लू.पी.आई।	डब्लू.पी.आई सूचीपत्र म्यानमार देश के प्रासंगिक होना चाहिए।	
3	धारा 21.1	*इस समझौते के तहत अप्रत्याशित घटना के लाभों का दावा करने वाले पक्ष (प्रभावित पक्ष) के उसके उत्तरदायित्वों के प्रदर्शन पर इसका प्रभाव पड़ता है और यदि यह घटना या वृतांत () प्रभावित पक्ष के यथोचित नियंत्रण से परे है, और () निश्चित प्रयासों से और उत्तम उद्योग नीतियों का पालन कर प्रभावित पक्ष का इससे बचा नहीं सजा कता था या उभरा नहीं जा सकता था, और () इससे प्रभावित पक्ष पर आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो इस समझौते में उपयोग किए गए अभिव्यक्ति अप्रत्याशित घटना या अप्रत्याशित घटना क्रम का अर्थ क्रमशः धाराओं 21.2, 21.3 और 21.4 के परिभाषण अनुसार भारत में घटित कोई भी*	क्योंकि परियोजना का निर्माण कार्य म्यानमार देश में होना है, अतः अप्रत्याशित घटना या अप्रत्याशित घटना क्रम की घटना का प्रावधान म्यानमार के लिए होना चाहिए, अतः बोलीदाता इस धारा को बदल कर इस समझौते के तहत अप्रत्याशित घटना के लाभों का दावा करने वाले पक्ष (प्रभावित पक्ष) के उसके उत्तरदायित्वों के	कृपया संशोधन- और क्षेपक- का सन्दर्भ लें

		या सभी गैर-राजनैतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनैतिक घटना और राजनैतिक घटनाओं के रूप में समझा जाएगा।	प्रदर्शन पर इसका प्रभाव पड़ता है और यदि यह घटना या वृत्तांत () प्रभावित पक्ष के यथोचित नियंत्रण से परे है, और () निश्चित प्रयासों से और उत्तम उद्योग नीतियों का पालन कर प्रभावित पक्ष का इससे बचा नहीं सजा कता था या उभरा नहीं जा सकता था, और () इससे प्रभावित पक्ष पर आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो इस समझौते में उपयोग किए गए अभिव्यक्ति अप्रत्याशित घटना या अप्रत्याशित घटना क्रम का अर्थ क्रमशः धाराओं 21.2, 21.3 और 21.4 के परिभाषण अनुसार म्यानमार में घटित कोई भी या सभी गैर-राजनैतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनैतिक घटना और राजनैतिक घटनाओं के रूप में समझा जाएगा। करने की विनती करता है।	
4	धारा 25.1.1	*यदि प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूरित व्यक्ति के तरफ से इस समझौते के उपेक्षा या अनदेखी, या उल्लंघन या चूक के कारण कोई भी मुकदमा, कार्यवही, कार्य, माँग और दावा किया गया है, तो उस मामले के अलावा, ठेकेदार को*	एक समर्थन समझौते के रूप में म्यानमार सरकार, प्राधिकरण तथा ठेकेदार के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता प्रदान करने की	बोली दस्तावेज़ के अनुसार

		प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, सेवकों, अभिकर्ताओं, सरकारी हस्तियों और सरकार द्वारा स्वामित्व/ नियंत्रित हस्तियों/ उद्यमों (प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूरित व्यक्तियों) को किसी भी या सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्यों, माँगों तथा डिज़ाइन दस्तावेजों में किसी भी भूल या अभावों या उपकृत्य या किसी भी अन्य कारण से इस समझौते के तहत ठेकेदार के किसी भी उत्तरदायित्वों में ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन या समझौते के तहत किसी भी उत्तरदायित्वों की उपेक्षा से तीसरे पक्ष द्वारा किया गया किसी भी हानि, नुकसान, लागत और किसी भी तरह या प्रकृति के व्ययों के प्रति क्षतिपूर्ती दावे के प्रति क्षतिपूर्ती प्रदान किया जाएगा, बचाव, रक्षा किया जाएगा तथा निर्दोष ठहराया जाएगा।	विनती करते हैं, जिसके तहत म्यानमार सरकार इस समझौते के तहत ठेकेदार के उत्तरदायित्वों की पूर्ती में ठेकेदार को सहायता और हर तरह का सहयोग प्रदान करेगी ताकि सभी प्रकार की मंज़ूरी तथा सहमति प्राप्त करना आसानी से और सरलता से हो सके।	
5	बोली की नियत तिथि	*वर्तमान बोली नियत तिथि है 21.06.2017*	निश्चित प्रयास कर पाने के लिए कृपया बोली की नियत तिथि को कम से कम 4 सप्ताह तक विस्तृत करने की विनती है।	बोली दस्तावेज़ के अनुसार